(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

15/9/25 पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश/चुनाव/
अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 07/10/25 को पेश हो।

07/10/25 पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश/चुनाव/
अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 05/11/25 को पेश हो।

04/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप.। बहस अन्तिम सुनी गयी। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश निर्णय व नियमानुसार डिक्री पृथक से तैयार करवायी जावे। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/1. रामी बाई पत्नी भगवान लाल रेगर नि.नगरी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ

1/2. गोपाल पुत्र भगवान लाल रेगर नि.नगरी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ

1/3. देवकन्या पुत्री भगवान लाल रेगर नि.नगरी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ

2. बद्दुबाई बेवा नानुराम रेगर नि.नगरी तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ

3. शाखा प्रबन्धक , चित्तौडगढ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा चित्तौडगढ पुलिस लाईन रोड, कुम्भानगर चित्तौडगढ

4. अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नगरी तह. बस्सी व जिला चित्तौडगढ

5. शाखा प्रबन्धक , बैंक आफॅ बडोदा , शाखा सेंती , चित्तौडगढ

6. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब , तहसील बस्सी

--प्रतिवादीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 88--53--91--188--209 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री यशवन्त पुरी गोस्वामी अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 02.12.2024

वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्व प्रतिवादीगण वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88--53--91--188--209 आर.टी.ए. इस आशय का पेश किया कि ग्राम नगरी की वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी की पुश्तैनी कृषि आराजीयात कब्जे अनुसार निम्नानुसार स्थित है। खाता संख्या 406 मे अंकित आराजी नम्बर 657, 658, 659, 660, 662, 663, 667 कुल कीता 07 कुल रकबा 0.90 हे. मे वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हक हिस्सा तथा वादी संख्या 4 से 8 का 1/2 हक हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 267 मे अंकित आराजी 661, 666 कुल कीता 02 कुल रकबा 0.27 हे. जिसमे वादी संख्या 1 से 8 व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का हक हिस्सा 2/3 तथा कालु पिता घीसा का 1/3 हक हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 268 मे अंकित आराजी नम्बर 668, 669, 670, कुल कीता 03 कुल रकबा 0.95 हे. मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। खाता संख्या 574 में अंकित आराजी नम्बर 664, 665, 2460 कुल किता 03 कुल रकबा 0.99 हे. वादी संख्या 9 रामलाल का 2/3 व वादी संख्या 10 मांगीबाई का 1/3 हक हिस्सा दर्ज है। आराजी संख्या 2460 रकबा 0.65 हे. पुश्तेनी नही हैं। इसका वाद पेश नही किया जा रहा है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिन्दु जाति के मुल पुरूष स्व. मोडा रेगर के विधिक उत्तराधिकारी होकर वारिसान है। पारिवारिक सजरा वाद पत्र मे अंकित है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

2 के पुर्वज स्व. दयाराम, स्व.भूरा व स्व.घीसा के पुत्र स्व. कालु प्रत्येक का 1/3 हिस्सा हक दर्ज राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे था लेकिन तीनो भाईयो ने आपसी मौखिक पारिवारिक सहमति से बंटवाडा निम्नानुसार किया था और काबिज हुये थे और उसी अनुसार इनके वारिसान वाद के पक्षकारान काबिज है और खसरो को उपयोग उपभोग पिछले करीब 50 वर्षो से कर रहे है। खसरा संख्या 666 रकबा 0.04 हे. साबिक नम्बर 106 रकबा 4 बिस्वा कुए का तीनो के 1/3 प्रत्येक के हक हिस्से का पानी ओसरे अनुसार नम्बर अनुसार निकालने का तय कर इसे शामलाती रखा था जो वर्तमान मे भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के शामलाती रखा था । खसरा संख्या 668, 669, 670 कुल किता 03 कुल रकबा 0.95 है पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पुर्वज दयाराम के हिस्से मे रखी और वो उस पर काबिज हुये थे तथा खेती कर इसे अपयोग उपभोग मे उनके जीवन काल मे लेते थे। उसके बाद दयाराम जी के पुत्र स्व. नानुराम उपयोग उपभोग मे लेते थे और उसके बाद वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपयोग मे ले रहे है। वर्तमान मे खातेदारी मे भी इन्ही के नाम दर्ज है। इसमे वादीगण को कोई आपत्ति नही है व वादीगण कोई बदलाव नही चाहते है। खसरा संख्या 664 , 665 रकबा क्रमशः 0.09 हे., 0.25 हे. व 663 रकबा 0.16 हे. मे से 0.08 हे. (नक्शे मे खसरा संख्या 664 को छुते हुये पर) कुल किता 03 कुल रकबा 0.42 हे. वादी संख्या 9 व 10 के पुर्वज पिता स्व. कालु रेगर के हिस्से मे आयी थी और वो उस पर काबिज हुये थे इसके बाद वादी संख्या 9 व 10 उपयोग मे ले रहे है। वर्तमान खसरा संख्या 664 , 665 के खातेदार वादी संख्या 9 व 10 हे जो इनके खातेदारी मे रहेगी तथा वर्तमान मे खसरा संख्या 663 रकबा 0.16 हे. वादी संख्या 1 से 2 व 4 से 8 के खातेदारी मे दर्ज हे जिसमे से खसरा संख्या 664 को नक्शे मे छुते हुये 0.08 हे. कृषि भूमि के खातेदार वादी संख्या 9 व 10 को नये खसरा संख्या 663/1 रकबा 0.08 हे. बनाकर खातेदार घोषित करने हेतु यह वाद पत्र पेश है । खसरा संख्या 657 रकबा 0.53 हे. मे से 0.06 हे. (662 व 663 को नक्शे मे छुते हुये), 658 रकबा 0.08 हे., 659 रकबा 0.22 हे. मे से 0.13 हे. (नक्शे मे 658 को छुते हुये) , 660 रकबा 0.16 हे. मे से 0.08 हे. (662 को नक्शे मे छुते हुये), 662 रकबा 0.04 हे., (663 रकबा 0.16 हे. मे से 0.08 हे. खसरा संख्या 662 को नक्शे मे छुते हुये), 667 रकबा 0.11 हे. मे से 0.05 हे. नक्शे मे 668 को छुते हुये कुल किता 7 कुल रकबा 0.52 हे. पर वर्तमान मे वादी संख्या 4 से 8 काबिज होकर उपयोग उपभोग मे लेकर खेती कर रहे है। वर्तमान मे इन आराजीयात पर पर खातेदार वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हक हिस्सा व 4 से 8 का 1/2 हक हिस्सा है। इस कारण वर्तमान खसरा संख्या 657 रकबा 0.13 हे. मे से 0.06 हे. (नये खसरा संख्या

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

7/1 रकबा 0.06 हे. 662 , 663 को नक्शे मे छुते हुये का बनाकर) 658 रकबा 0.08 हे., 659 रकबा 0.22 हे. मे से 0.13 हे. (नया खसरा नम्बर 659/1 रकबा 0.13 हे., 658 को नक्शे मे छुते हुये का बनाकर), 660 रकबा 0.16 हे. मे से 0.08 हे. (नया खसरा नम्बर 660/1 रकबा 0.08 हे., 662 को नक्शे मे छुते हुये का बनाकर), 662 रकबा 0.04 हे. , 663 रकबा 0.16 हे. मे से 0.08 हे. (नया खसरा नम्बर 663/2 रकबा 0.08 हे. नक्शे मे 662 को छुते हुये), 667 रकबा 0.11 हे. मे से 0.005 हे. नक्शे मे 668 को छुते हुये का बनाकर कुल किता 07 कुल रकबा 0.52 हे. के खातेदार वादी संख्या 4 से 8 को घोषित कराने । खसरा संख्या 657 , 659 , 660, 667 के खातेदार वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा 4 से 8 को 1/2 हिस्सा है तथा वर्तमान खसरा संख्या 661 के सा. देह खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा एंव वादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हिस्सा एंव वादी संख्या 4 से 8 के पिता का 1/6 हिस्सा एंव वादी संख्या 9 व 10 के पुर्वज पिता कालु का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे है। इस कारण वर्तमान खसरा संख्या 657 रकबा 0.13 हे. मे से 0.07 हे. (नया खसरा 657/2 रकबा 0.07 हे. नक्शे मे 658 को छुते हुये बनाकर), 659 रकबा 0.22 हे. मे से 0.09 हे. (नया खसरा 659/2 रकबा 0.09 हे. बनाकर) 660 रकबा 0.16 हे. मे से 0.08 हे. (नया खसरा 660/2 रकबा 0.08 हे.), 661 रकबा 0.23 हे. , 667 रकबा 0.11 हे. मे से 0.06 हे. (नया खसरा संख्या 667/2 रकबा 0.06 हे. बनाकर) कुल किता 5 कुल रकबा 0.53 हे. के खातेदार वादी संख्या 1 व 2 को घोषित करने हेतु यह वाद पेश है । उपरोक्त विवरणानुसार पक्षकारो को खातेदार घोषित करने व घोषित हक हिस्से मे एक दुसरे को हस्तक्षेप नही करने की डिक्री प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । दौराने सुनवाई अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादी संख्या 10 की मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र बाबत् 22 नियम 03 जा.दी. प्रस्तुत किया बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर संसोधित अनवान पेश किया। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने से दिनांक 06.04.2022 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । दौराने सुनवाई प्रतिवादी 1 की मृत्यु हो जाने से अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र 22 नियम 04 जा.दी. प्रस्तुत किया जो बाद सुनवाई स्वीकार होकर संशोधित अनवान पेश हुआ । प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध दिनांक 22.05.2024 को पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से वाद बिन्दु कायम नही किए गए। साक्ष्य के रूप मे अधिवक्ता वादीगण ने ग्वाह pw1 भैरू pw2 रामलाल pw3 नारायण

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

W4 हजारीलाल के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध कराए गए । दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 406 , प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 267, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 268 , प्रदर्श – 4 नकल जमबान्दी खाता संख्या 576 , प्रदर्श–5 नकल नक्शा ट्रेस , प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल , प्रदर्श–7 मिलान खसरा , प्रदर्श–8 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 खतौनी संख्या 144 , प्रदर्श –9 नकल जमबान्दी सम्वत् 2025 से 2028 खतौनी संख्या 56 प्रदर्शित करवाए ।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र मे वर्णित कथनो को दोहराते हुए वाद पत्र मे वर्णित विवरणानुसार खातेदारी घोषणा व घोषित हक हिस्से मे एक दूसरे का हस्तक्षेप नही करने हेतु डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादीगण की बहस पर चिन्तन व मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक व पुश्तैनी है। जिसकी पुष्टि वादीगण द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का खण्डन भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रतिवादीगण की मौन सहमति प्रकट होती है । वादी अपना वाद पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित कराने मे सफल होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नगरी पटवार हल्का नगरी तहसील बस्सी की आराजीयात का निम्नानुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाता है।

1. वर्तमान खसरा संख्या 666 रकबा 0.04 हे. कुआ मे वादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हक हिस्सा व 4 से 8 का 1/6 हक हिस्सा व 9 से 10(10 के वारिसान) का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान का संयुक्त रूप से व 2 का 1/3 हक हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है
2. खसरा संख्या 668, 669, 670 कुल कीता 03 कुल रकबा 0.95 हे. का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1(प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान) व 2 को घोषित किया जाता है।
3. खसरा संख्या 664, 665 क्रमशः रकबा 0.09 हे. , 0.25 हे. व 663 रकबा 0.16 हे. मे से 0.08 हे. कुल किता 03 कुल रकबा 0.42 हे. खातेदार वादी संख्या–9 का 2/3 व वादी संख्या 10 के वारिसान का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाता है।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

4. खसरा संख्या – 657 रकबा 0.13 हे. मे से 0.06 हे. 658 रकबा 0.08 हे., 659 रकबा 0.22 हे. मे से 0.13 हे. , 660 रकबा 0.16 हे. मे से 0.08 हे., 662 रकबा 0.04 हे., 663 रकबा 0.16 हे. मे से 0.08 हे., 667 रकबा 0.11 हे. मे से 0.05 हे. कुल कीता 7 कुल रकबा 0.52 हे. के खातेदार वादी संख्या 4 से 8 को घोषित किया जाता है।

5. खसरा संख्या 657 रकबा 0.13 हे. मे से 0.07 हे. , 659 रकबा 0.22 हे. मे से 0.09 हे., 660 रकबा 0.16 हे. मे से 0.08 हे. , 661 रकबा 0.23 हे., 667 रकबा 0.11 हे. मे से 0.06 हे. कुल किता 5 कुल रकबा 0.53 हे. के खातेदार वादी संख्या 1 से 3 को घोषित किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार घोषित हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए तथा आवागमन का सुलभ मार्ग रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस जरिए विभाजन खाता अलग कायम किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रकरण मे तहसीलदार बस्सी को 1500 अक्षरे पन्द्रह सौ रूप्ये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार मौका के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा ट्रेस दो प्रति न्यायालय मे प्रस्तुत करे। कमिश्नर शुल्क वादीगण वहन करेगा।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)